न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी रिया डाबी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04 / 2023 विविध GCMS No. 2023/135

1. श्री लोगर पिता श्री पेमा जी डागी उम्र व्यस्क निवासी :– ग्राम सेजलाई तहसील कुराबड जिला उदयपुर राज
2. श्री मागीलाल पिता श्री पेमा जी डागी उम्र व्यस्क निवासी :– ग्राम सेजलाई तहसील कुराबड जिला उदयपुर राज
3. श्रीमती धापूबाई बेवा श्री पेमा जी डागी उम्र व्यस्क निवासी :– ग्राम सेजलाई तहसील कुराबड जिला उदयपुर राज
4. श्रीमती लिलाबाई पुत्री श्री पेमा जी डागी उम्र व्यस्क निवासी :– ग्राम सेजलाई तहसील कुराबड जिला उदयपुर राज
5. श्री भेरूलाल पिता श्री केशुलाल जी डागी उम्र व्यस्क निवासी :– ग्राम सेजलाई तहसील कुराबड जिला उदयपुर राज
6. श्री दिनेश पिता श्री केशुलाल जी डागी उम्र व्यस्क निवासी :– ग्राम सेजलाई तहसील कुराबड जिला उदयपुर राज
7. श्रीमती मागीबाई बेवा श्री केशुलाल जी डागी उम्र व्यस्क निवासी :– ग्राम सेजलाई तहसील कुराबड जिला उदयपुर राज

वादीगण

बनाम

1. श्री खुमाणसिंह पिता श्री लालसिंह जी राजपुत उम्र व्यस्क निवासी :– ग्राम साकरोदा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राज
2. श्री बलविरसिंह पिता श्री कल्याणसिंह जी राजपुत उम्र व्यस्क निवासी :– ग्राम साकरोदा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राज
3. श्री भेरा पिता श्री शंकर जी डागी उम्र व्यस्क निवासी :– ग्राम सेजलाई तहसील कुराबड जिला उदयपुर राज
4. श्री दिनेश पिता श्री दीपा जी डागी उम्र व्यस्क निवासी :– ग्राम सेजलाई तहसील कुराबड जिला उदयपुर राज
5. श्री गणेश पिता श्री दीपा जी डागी उम्र व्यस्क निवासी :– ग्राम सेजलाई तहसील कुराबड जिला उदयपुर राज
6. श्री पप्पू पिता श्री दीपा जी डागी उम्र व्यस्क निवासी :– ग्राम सेजलाई तहसील कुराबड जिला उदयपुर राज
7. श्रीमती ललीता पुत्री श्री दीपा जी डागी उम्र व्यस्क निवासी :– सेजलाई तहसील कुराबड जिला उदयपुर राज
8. श्रीमती लसुबाई बेवा श्री दीपा जी डागी उम्र व्यस्क निवासी :– ग्राम सेजलाई तहसील कुराबड जिला उदयपुर राज
9. श्री बलवीर सिंह पिता श्री कल्याणसिंह जी राजपुत उम्र व्यस्क निवासी :– ग्राम टांक तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज
10. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुराबड जिला उदयपुर राज

प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी.</u>
<u>एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम</u>

उपस्थित :–

1. श्री नरेश जणवा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री नरेन्द्र चित्तौड़ा अधिवक्ता विपक्षीगण।

निर्णय

दिनांक : 04.07.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. का मय प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि विपक्षी संख्या एक तथा दो के द्वारा प्रार्थी तथा विपक्षीगण संख्या 3 से 10 के विरूध एक वाद बाबत् बॅटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया जिसमे न्यायालय के द्वारा तामिल जारी की गई ओर प्रार्थी तथा विपक्षीगण संख्या 3 से 9 की तामिल मानी जाकर के दिनाकं 23.11.2020 को प्रार्थी तथा विपक्षीगण संख्या 3 से 9 के विरूध एक तरफा कार्य वाही किये जाने का आदेश पारीत किया गया ओर उसी दिनाकं को शपथ पत्र के द्वारा वादी की साक्ष्य लेख बद्ध कि जाकर के प्रकरण मे प्रारम्भिक डिकी जारी की गई ओर उस पर दिनाकं 06.10.2021 को अन्तिम डिक्री जारी गई जिसके बारे मे प्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी उसके बारे मे जानकारी अभी हाल ही मे तब हुई जब विपक्षीगण संख्या एक व दो उक्त डिकी के आधार पर उक्त भुमि को अपने नाम पर करवाकर के दिनाक 15 व 16 जुलाई को राज्य सरकार का अवकाश देखकर के थाना कुराबड से अवैध रूप से साठ गॉठ करके प्रार्थीगण के कब्जे आधिपत्य की भुमि मे प्रवेश किया और उसकी 80 वर्ष से भी अधिक पुरानी कोट को बिखेर दिया तथा थाना कुराबड के द्वारा सहयोग किया जाकर के प्रार्थीगण को तब तक थाने मै बैठा रखा जब तक की उक्त भुमि पर विपक्षीगण ने कब्जा नही कर लिया ओर जेसीबी से खुदाई नही कर दी और उसकी रिपोर्ट थाना कुराबड मे दियें जाने पर उनके द्वारा नही लि गई जिस पर उसकी रिपोर्ट प्रार्थीगण के द्वारा जिला पुलीस अधिक्षक उदयपुर को दी ओर उनके समक्ष पेश होने पर उनके द्वारा थाना कुराबड को लताड लगाने पर विपक्षीगण को उन्होने कार्य बन्द करवाया ओर फिर उक्त निर्णय तथा डिकी के बारे मे पटवार हल्का से जानकारी करके उसकी प्रति अधिवक्ता के मार्फत निकलवाकर के तुरन्त ही उनसे विधीक राय प्राप्त करके बिना किसी विलम्ब की उक्त प्रार्थना पत्र आप श्री मान के समक्ष पेश कर रहै है। उक्त प्रकरण आप न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर के तामिल जारी की गई जो सभी तामिल मागीलाल तथा भैरूलाल के उपर तामील दर्शा रखी है जबकी तामिल कुन्निदा के द्वारा उक्त तामिल कभी भी उक्त दिनाक को उक्त लोगो के उपर नही करवाई गयी थी ओर नही उस पर जो हस्ताक्षर है वह भी उनके बनावटी किये हुए है और ईस प्रकार उक्त तामिल विपक्षीगण संख्या एक तथा दो ने तामिल कुन्निदा से मिलकर के जालसाजी से प्रार्थीगण को नुकसान कारीत

करने के आश्य से करवाई गई है जिसके कारण की उक्त तामिल पर न्यायालय विश्वास करके उनके प्रति एक तरफा कार्य वाही कर देवे ओर उसमे जल्दी से निर्णय तथा डिक्री प्राप्त की जा सके ओर विप्रक्षीगण संख्या एक व दो उक्त तरह की कार्यवाही करके उसमे सफल भी हो गये और उक्त प्रकरण मे प्रार्थी तथा अन्य विपक्षीगण के विरूध एक तरफा कार्यवाही करवा कर के एक्स प्रार्टी डिकी प्राप्त की और उसकी पालना भी उनकी जानकारी के बिना करवा कर के अब उक्त भुमि पर कब्जा करने के लिए आये है जिससे उक्त सम्पुर्ण कार्यवाही विपक्षीगण संख्या एक तथा दो के द्वारा जाल साजी से करवाई हुई है ओर ऐसी कार्यवाही जो जालसाजी से तथा न्यायायल को गुमराह करके की गई है उसको किसी भी समय किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है उसमे मयाद का बिन्दु लागु नही होता है और ईस प्रकार उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है ओर ईस प्रकार प्रतिववादीगण के बैक पिछे उसकी जानकारी के बिना उक्त एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारीत कर दिया ओर प्रतिवादी को बिना सुने ही निर्णय व डिकी को पारीत कर दी गई है ईस प्रकार उक्त निर्णय व डिकी पारीत करने मे भारी विधीक व न्यायिक भुल की है और भुल कर के जो आदेश पारीत किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण बहुत ही चालाक तथा भुमि व्यवसायी लोग है उनकी पहँच बहुत उपर तक है तथा प्रार्थीगण अनपढ तथा अशिक्षीत काश्तकार है ओर काश्तकारी करके अपने तथा अपने परिवार का भरणपोषण कर रहे है ओर उनकी भुमि पर भु माफिया लोगो की बराबर रूप से नजर है ओर उनकी भुमि को हड़पने के लिए उन्होने बिना कब्जे का खाता खरीदा तथा भुमि पर कब्जा नही होने से उन्होने उक्त वाद बाबत् बॅटवारा पेश किया ओर न्यायालय के साथ मे जालसाजी करके झूठी तामिल करवाकर के उनकी अनुपस्थिती दर्ज करवा करके उनके प्रति एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारीत करवा दिया जिसके बारे मे प्रार्थीगण को कोई जानकारी नही है ओर इस प्रकार उक्त प्रकरण मे विपक्षीगण संख्या एक तथा दो के द्वारा जालसाजी से झुठी तामिल करवा करके एक तरफा आदेश पारीत करवाया ओर एक तरफा निर्णय करवा कर के जालसाजी से डिकी प्राप्त की है इसलिए न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है कि ऐसी डिकी जो झुठी तामिल के आधार पर न्यायायल को गुमराह तथा मुगालते मे रखकर के प्राप्त की गई है वह निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रतिवादीगण को अपना जवाब तथा दस्तावेज तथा साक्ष्य तथा सबुत पेश करने का अवसर प्रदान कराया जाकर के प्रकरण को गुणावगुणो पर निर्णीत किया जावे नही तो प्रतिवादीगण न्याय से वचीत हो जावेगे जिसकी क्षतिपुर्ती एवजाने मे नही आकी जा सकेगी। उक्त प्रकरण

मे वादीगण ने प्रतिवादीगण की जाली तामिल करवाकर के उनके प्रति एक तरफा निर्णय पारीत करवा दिया ओर जालसाजी से न्यायायल को मुगालते मे रखकर के उक्त निर्णय तथा डिकी प्राप्त कर ली परन्तु वह यह भी भुल गये की जो प्रतिवादीगण की तामिल करवाई जा रही है उनमे से प्रतिवादी संख्या 7 देवा पिता जग्गा जी डागी की मृत्यु दिनाक 12.05.2005 को हो गई तथा प्रतिवादीगण संख्या 12 की मृत्यु दिनाकं 19.02.2008 को हो गयी है और उनके विरूद्ध भी उन्होने वाद पत्र पेश किया ओर न्यायालय से वास्तविकताओ को छीपाकर के मृतक व्यक्ती के विरूध भी निर्णय तथा डिकी प्राप्त कर ली है और विधी मे मृतक व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री व निर्णय पारीत नही किया जा सकता है तथा उक्त बात को पी डी रिपोर्ट मे भी आ गई थी की उक्त लोगो की मृत्यु हो चुकी है बावजुद ईसके न्यायालय को मुगालते मे रखकर के उक्त अवैध तथा विधी विरूध निर्णय तथा डिकी पारीत करवा दी है जो निरस्त किये जाने योग्य है नही तो प्रतिवादी अपने विधीक अधिकारो से वचीत हो जावेगे ओर बिना वजह उनको कई सारी समस्याओ का सामना करना पडेगा ओर न्याय से वचीत हो जावेगे इसलिए न्याय हित मे अत्यन्त आवश्यक है की उक्त प्रकरण मे पारीत निर्णय व डिकी को निरस्त फरमाया जावे।

अतः श्री मान से निवेदन है की प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आप न्यायालय के द्वारा पारीत निर्णय व डिकी दिनाक 06.10.2021 बप्रकरण खुमाण सिंह वगैरह बनाम श्री भैरा वगैरह मुकदमा नम्बर 127 / 2018 ई दी को निरस्त किया जावे तथा उक्त प्रकरण मे प्रार्थीगण तथा विपक्षीगण संख्या 3 से 9 के विरूद्ध पारित एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिनाक 23.11.2020 तथा जवाब बन्द किये जाने का आदेश दिनाकं 19.0.2019 को भी निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण को अपना जवाब दावा तथा साक्ष्य अपने साक्ष्य व सबुत पेश करने का अवसर प्रदान कराया जाकर प्रकरण का गुणावगुणो पर निर्णीत किया जावे जिससे प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि उक्त अनवान प्रकरण का एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा आप न्यायालय में पेश कर दी जो ठोस आधारों पर आधारित होकर प्रार्थी को उसमें सफलता मिलनें की पूर्ण सम्भावना है। उक्त निर्णय व डिकी के बारे मे जानकारी प्राथी को अभी हाल ही मे दिनाकं 15 व 16 जुलाई को राज्य सरकार का अवकाश देखकर के थाना कुराबड से अवैध रूप से साठ गाँठ करके प्रार्थीगण के कब्जे आधिपत्य की भुमि मे विपक्षीगण संख्या एक तथा दो के द्वारा प्रवेश किया और उनकी 80 वर्ष

से भी अधिक पुरानी कोट को बिखेर दिया तथा थाना कुराबड के द्वारा सहयोग किया जाकर के प्रार्थीगण को तब तक थाने मै बैठा रखा जब तक की उक्त भुमि पर विपक्षीगण संख्या एक तथा दो ने कब्जा नही कर लिया ओर जेसीबी से खुदाई नही कर दी और उसकी रिपोर्ट थाना कुराबड मे दियें जाने पर उनके द्वारा नही लि गई जिस पर उसकी रिपोर्ट प्रार्थीगण के द्वारा जिला पुलीस अधिक्षक उदयपुर को दी ओर उनके समक्ष पेश होने पर उनके द्वारा थाना कुराबड को लताड लगाने पर विपक्षीगण को कार्य उन्होने बन्द करवाया ओर फिर उक्त निर्णय तथा डिकी क बारे मे पटवार हल्का से जानकारी करके उसकी प्रति अधिवक्ता के मार्फत निकलवाकर के तुरन्त ही उनसे विधीक राय प्राप्त करके बिना किसी विलम्ब की उक्त प्रार्थना पत्र आप श्री मान के समक्ष पेश कर रहै है परन्तु समय अधिक हो जाने से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी मय शपथ पत्र के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। परन्तु समय अधिक होने से अवधि माफ फरमाई जावे और प्रार्थना पत्र दर्ज कर गुणावगणों पर निर्णित की जावें नही तो तो प्राथी न्याय से वंचित हो जाएंगे जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयो पैसों में नहीं आंकी जा सकेगी।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी को माफ फरमाई जावें व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गुणावगुणों पर निर्णित की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षीगण द्वारा जवाब धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा गलत आधारों पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी को आप न्यायालय द्वारा जारी किए गए नोटिस/सम्मन से उक्त प्रकरण की विधिवत् रूप से जानकारी हो गई थी। प्रार्थीगण को उक्त सम्मन विधिवत् रूप से तामिल हुआ था तथा प्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 24–10–2018 की उक्त सम्मन द्वारा जानकारी हुई थी जिस पर प्रार्थीगण बावजूद सूचना/तामिल के आप न्यायालय में कई पेशियों पर उपस्थित नहीं हुए उसके पश्चात् आप न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत् विरूद्व दिनांक 19–02–2019 को जवाब के रूप से प्रार्थीगण अवसर बन्द किए गए तथा एकतरफा कार्यवाही के आदेश जारी किए गए तथा प्रकरण में दिनांक 23–11–2021 को प्रारम्भिक डिकी की अनुपालना में मौका रिपोर्ट बनवाई गई तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 21–10–2021 को संबंधित पक्षकारों को सूचना देकर मौके पर उपस्थित होने हेतु कहा गया लेकिन बावजूद सूचना प्रतिवादीगण मौके पर जानबूझकर अनुपस्थित

रहे तथा मोबाईल पर सम्पर्क करने पर भी मौके पर उपस्थित नहीं हुए व किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया जिस पर राजस्व अधिकारियों द्वारा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आप न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 06–10–2021 को फाईनल डिकी पारित की। प्रार्थीगण की जानकारी में उक्त सारी कार्यवाही हुई तथा प्रार्थी द्वारा अब करीब छः वर्षो पश्चात् बिना किसी कारण के उक्त डिकी अपास्त करते हुए दो तरफा कार्यवाही करने का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वह भारी मयाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज किए जाने योग्य है प्रार्थीगण द्वारा छः वर्षो की लम्बी अवधि पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई वाजिब कारण भी प्रस्तुत नहीं किया है जबकि कानूनन प्रार्थी को प्रतिदिन देरी का कारण बताना आवश्यक है, प्रार्थीगण द्वारा मात्र यह कह देना कि अभी हाल ही में दिनांक 15 व 16 जुलाई को राज्य सरकार का अवकाश देखकर के थाना कुराबड से अवैध रूप से सांठ–गांठ करके प्रार्थीगण के कब्जे आधिपत्य की भूमि में विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रवेश किया गया तो उक्त निर्णय व डिकी के बारे में जानकारी होना पाया गया। उक्त कथन प्रार्थीगण द्वारा सरासर झूठ व आधारहीन है जबकि प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी तारीख पेशी दिनांक 24–10–2018 को ही थी।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उक्त जवाब के मद्देनजर भारी हर्जे – खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन कर अध्ययन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद प्रकरण संख्या 127/18 अनवान खुमाण सिंह बनाम भेरा की प्रमाणित प्रति का अवलोकन कर अध्ययन किया गया। प्रकरण की आदेशिका दिनांक 27.03.2019 में पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत की गई तथा आदेशिका दिनांक 19.09.2019 को प्रतिवादीगण के जवाब अवसर बंद किए गए थे। दिनांक 23.11.2020 को वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रारम्भिंक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार गिर्वा द्वारा समस्त पक्षकारान को नोटिस जारी कर दिनांक 21.1.2021 को भूअभिलेख निरीक्षक कुराबड़ द्वारा मौका पर्चा बनाया गया। मौका पर्चा में स्पष्ट अंकन है कि "प्रतिवादी संख्या 8 से 12 तक श्री मांगीलाल लोगर, वगैरह पिता पेमा डांगी द्वारा मौके पर बंटवारा हेतु जारी सूचना पत्र को लेने से इनकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात से लगा हुआ निवास स्थान होने के बावजूद मौके पर अनुपस्थित।" उक्त वाद के प्रतिवादी संख्या 8 से

11 हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी संख्या 1 से 4 है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को उक्त प्रारम्भिंक डिक्री दिनांक 23.11.2020 की जानकारी हो चुकी थी। तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिंक डिक्री पालना रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 06.10.2021 को फाईनल डिक्री किया गया था।

उपरोक्त विवेचन के पश्चात् न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रार्थीगण को उक्त प्रारम्भिंक डिक्री की जानकारी तहसीलदार गिर्वा द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के सम्बध में उपस्थित होने हेतु जारी सूचना पत्र से भी हो चुकी थी। प्रार्थीगण द्वारा जिसके सम्बध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है जिससे कि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण से विचार करने हेतु विलम्ब कण्डोन किया जावे।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम का खारिज किया जाता है। धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज होने से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. भी बिना गुणावगुण पर विचार किए खारिज किया जाता है।

निर्णय सरेइजलास सूनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रिया डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा– उदयपुर